न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–61/2022
वाद प्रविष्टि दिनांक–22.04.2022
निर्णय दिनांक–14.10.2025

दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. उपपंजीयक अधिकारी पीपलू
3. तहसीलदार पीपलू
4. भूली देवी पत्नि श्योजी जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी एड0
श्री ईरशाद अहमद खान एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04–श्री शंकरलाल चौधरी

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 365, 366, 369, 370, 371, 1703, 2498, 3201 कुल किता 08 कुल रकबा 26–07 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। जिसका विधिवत् विभाजन पक्षकार के मध्य नही हो रखा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 है शैष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादी संख्या 01 ने बिना विभाजन के ही आराजी ख0न0 1703, 2498 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9972 हेक्ट. वाके ग्राम झिराना की भूमि में से अपना हिस्सा 1/2 का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 को कर दिया है और अब प्रतिवादी संख्या 04 बिना विभाजन के आराजी पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है और अपने मनचाहे स्थान पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

किया जा रहा है और प्रतिवादी संख्या 04 भी बिना विभाजन आराजी पर कब्जा करने एवं वादी के कब्जे काश्त में अनावश्यक रूप से दखलदांजी कर विवाद उत्पन्न कर रही है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 04 तकासमा पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का पक्षकारान् के बीच विधिवत् विभाजन किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे तथा नक्शा शीट में अपने हिस्से की तरमीम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 04 बावत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे की वे बिना विभाजन के आराजी का बेचान नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 04 को पाबन्द फरमाया जावे की वे वादी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करे। फसल बोने जोने में अवरोध कारित नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया की प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि ख0न0 1703, 2498 वाके ग्राम झिराना का 1/2 हिस्स प्रतिवादी संख्या 04 भूली देवी पत्नि श्योजी जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2022 को विक्रय करके मौके पर प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय शुदा भूमि पर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार उक्त विक्रय किये गये ख0न0 नम्बरान् की मालिक, प्रतिवादी संख्या 04 है, शेष आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 अपने हक व हिस्से का मालिक स्वामी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा वर्षो पूर्व ही हो रखा था, ओर बहामी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज है। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने विशेष आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य काफी समय पूर्व ही तकासमा हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 पूर्व में हुए तकासमे के अनुसार ही मौके पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि पूर्व में हुए तकासमा के बाद भूमि में काफी उर्वरक डालकर भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बना लिया है और अब वादी की नियत में बेईमानी आ गई है। जिससे वह पुनः तकासमा करवाने के लिए यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि ख0न0 1703, 2498 वाके ग्राम झिराना का 1/2 हिस्स प्रतिवादी संख्या 04 भूली देवी पत्नि श्योजी जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2022 को विक्रय करके मौके पर प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय शुदा भूमि पर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार उक्त विक्रय किये गये ख0न0 नम्बरान् की मालिक, प्रतिवादी संख्या 04 है, शेष आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 अपने हक व हिस्से का मालिक स्वामी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा वर्षो पूर्व ही हो रखा था, ओर बहामी बंटवारे के अनुसारं प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 365, 366, 369, 370, 371, 1703, 2498, 3201 कुल किता 08 कुल रकबा 26-07 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। जिसका विधिवत् विभाजन पक्षकार के मध्य नही हो रखा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादी संख्या 01 ने बिना विभाजन के ही आराजी ख0न0 1703, 2498 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9972 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना की भूमि में से अपना हिस्सा 1/2 का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 को कर दिया है और अब प्रतिवादी संख्या 04 बिना विभाजन के आराजी पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है और अपने मनचाहे स्थान पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और प्रतिवादी संख्या 04 भी बिना विभाजन आराजी पर कब्जा करने एवं वादी के कब्जे काश्त में अनावश्यक रूप से दखलदांजी कर विवाद उत्पन्न कर रही है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 04 तकासमा पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का पक्षकारान् के बीच विधिवत् विभाजन किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे तथा नक्शा शीट में अपने हिस्से की तरमीम की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 04 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें की वे बिना विभाजन के आराजी का बेचान नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 04 को पाबन्द फरमाया जावे की वे वादी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदांखलत नहीं करे। फसल बोने जोने में अवरोध कारित नही करे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04 ने अपनी बहस में बताया की प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि ख0न0 1703, 2498 वाके ग्राम झिराना का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 भूली देवी पत्नि श्योजी जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2022 को विक्रय करके मौके पर प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय शुदा भूमि पर कब्जा संभला दिया है। इस प्रकार उक्त विक्रय किये गये ख0न0 नम्बरान् की मालिक, प्रतिवादी संख्या 04 है, शेष आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 अपने हक व हिस्से का मालिक स्वामी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य उक्त आराजीयात का बहामी बंटवारा वर्षो पूर्व ही हो रखा था, ओर बहामी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर काबिज है। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने विशेष आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य काफी समय पूर्व ही तकासमा हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 पूर्व में हुए तकासमे के अनुसार ही मौके पर काबिज चला आ रहा है। अतः मुताबिक कब्जे काश्त अनुसार वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र आपत्ति नही है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 365, 366, 369, 370, 371, 1703, 2498, 3201 कुल किता 08 कुल रकबा 26–07 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजी है। अधिवक्ता वादी ने उक्त विवादित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी के बीच वाद वादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मुताबिक कब्जे काश्त को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार उक्त वर्णित आराजीयात का वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 04.03.2025 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3493 दिनांक 19.09.2025 द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अधिवक्ता वादी ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादीगण ने भी तकासमा रिपोर्ट पर सहमत होते हुए मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है की तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्ष पक्षकारान् को सूचित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। उभयपक्ष को जरिये नोटिस सूचित किया गया है, उक्त नोटिस की प्रति संलग्न है एवं तकासमा रिपोर्ट पर उभयपक्ष खातेदारान् व गवाह्न के हस्ताक्षर अंकित है। अतः उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 1703/1 रकबा 0.4236 हैक्ट., ख0न0 2498/1 रकबा 0.5753 हैक्ट., ख0न0 3201/1 रकबा 0.1897 हैक्ट., ख0न0 365/2 रकबा 0.6619 हैक्ट., ख0न0 366 रकबा 0.7081 हैक्ट., ख0न0 369/1 रकबा 0.4383 हैक्ट., ख0न0 371/1 रकबा 0.2864 हैक्ट. कुल किता 07 कुल रकबा 3.2833 हैक्ट. वादी दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन (1703, 2498, 3201 बिना रहन) बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 3201/2 रकबा 0.1897 हैक्ट.,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

ख0न0 365/1 रकबा 2.0947 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 2.2844 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 369/2 रकबा 0.0675 हैक्ट., ख0न0 371/2 रकबा 0.0171 हैक्ट. ख0न0 370 रकबा 0.0126 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.0972 हैक्ट. वादी दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल हि. 1/2 जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना, प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रसाद पुत्र मदनलाल हि. 1/2 जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। आराजी ख0न0 1703/2 रकबा 0.4236 हैक्ट., ख0न0 2498/2 रकबा 0.5754 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.9990 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 04 भूली देवी पत्नि श्योजी जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 04 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

डिक्री मुकदमा इकरादाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

व अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0) वादी

बनाम

रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0) (कुल कस 04) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 61 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी एड0 व श्री ईरशाद अहमद खान एड0 मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 व 04 श्री शंकरलाल चौधरी मनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि ग्राम झिराणा, पटवार हल्का झिराणा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 1703/1 रकबा 0.4236 हैक्ट., ख0न0 2498/1 रकबा 0.5753 हैक्ट., ख0न0 3201/1 रकबा 0.1897 हैक्ट., ख0न0 365/2 रकबा 0.6619 हैक्ट., ख0न0 366 रकबा 0.7081 हैक्ट., ख0न0 369/1 रकबा 0.4383 हैक्ट., ख0न0 371/1 रकबा 0.2864 हैक्ट. कुल किता 07 कुल रकबा 3.2833 हैक्ट. वादी दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन (1703, 2498, 3201 बिना रहन) बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 3201/2 रकबा 0.1897 हैक्ट., ख0न0 365/1 रकबा 2.0947 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 2.2844 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 369/2 रकबा 0.0675 हैक्ट., ख0न0 371/2 रकबा 0.0171 हैक्ट. ख0न0 370 रकबा 0.0126 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.0972 हैक्ट. वादी दुर्गाशंकर पुत्र मदनलाल हि. 1/2 जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना, प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रसाद पुत्र मदनलाल हि. 1/2 जाति महाजन सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिराना के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। आराजी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

खा0न0 1703/2 रकबा 0.4236 हैक्ट., खा0न0 2498/2 रकबा 0.5754 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.9990 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 04 भूली देवी पत्नि श्योजी जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 04 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। वैंक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी.................................पब्लिक... बाबत................................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.....पीपलू (टोंक)

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner